

पत्रांक [] /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 S-1/3 से0 13 / 2024-25 /दिनांक

श्री राजेश पति त्रिपाठी पुत्र श्री बाल मुकुन्द त्रिपाठी,
ग्राम-भिटहियाँ,
पोस्ट-डबरपार,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 5 दिनांक 02/05/2002 के माध्यम से गीडा की शॉपिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में
आवंटित भूखण्ड संख्या S-1/3 से0 13 के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित
पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक 01/01/2024 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	31/12/2023	तक	रु0	1161.00
2. ब्याज दिनांक	31/12/2023	तक	रु0	67.00
3. भूमि प्रीमियम			रु0	121.00

योग रु0 1349.00

इसके अतिरिक्त 01/07/2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/01/2024	से	30/06/2024	तक	रु0	1145.00
2. ब्याज दिनांक	01/01/2024	से	30/06/2024	तक	रु0	6.00
3. भूमि प्रीमियम					रु0	0.00

योग रु0 1151.00

महायोग रु0 2,500.00


एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक 01/01/2024 को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक 01/07/2024
को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या-6332000100000405
में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र"
(आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है।

नोट-यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि
आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि
करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत
(कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा।
गीडा का GST No. 09AAALG1185A1ZJ है।


(मयंक मंगल)

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा गोरखपुर।

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 S-1/4 से0 13 / 2024-25 /दिनांक

डा0 नवेन्दु सिन्हा पुत्र श्री सत्येन्द्र सिन्हा,
मुहल्ला-राम जानकी नगर,
बशारतपुर,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 6 दिनांक 02/05/2002 के माध्यम से गीडा की शॉपिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में
आवंटित भूखण्ड संख्या S-1/4 से0 13 के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित
पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक 01/01/2024 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	31/12/2023	तक	रू0	40383.00
2. ब्याज दिनांक	31/12/2023	तक	रू0	438643.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	87000.00

योग रू0	566026.00
---------	-----------

इसके अतिरिक्त 01/07/2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/01/2024	से	30/06/2024	तक	रू0	8444.00
2. ब्याज दिनांक	01/01/2024	से	30/06/2024	तक	रू0	3951.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0	12395.00
---------	----------

महायोग रू0	578,421.00
------------	------------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक 01/01/2024 को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक 01/07/2024
को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या-6332000100000405
में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र"
(आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है।

नोट-यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि
आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि
करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत
(कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा।
गीडा का GST No. 09AAALG1185A1ZJ है।



(मयंक मंगल)

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)

गीडा गोरखपुर।

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 S-1/2 से0 13 / 2024-25 /दिनांक

श्री विद्या भूषण पुत्र श्री पारस नाथ,
ग्राम व पोस्ट-जयतपुर,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र सं0 8 दिनांक 02/11/2002 के माध्यम से गीडा की शॉपिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में
आवंटित भूखण्ड संख्या S-1/2 से0 13 के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित
पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक 01/01/2024 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	31/12/2023	तक	रू0	1140.00
2. ब्याज दिनांक	31/12/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00

योग रू0	1140.00
---------	---------

इसके अतिरिक्त 01/07/2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/01/2024	से	30/06/2024	तक	रू0	1142.00
2. ब्याज दिनांक	01/01/2024	से	30/06/2024	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0	1142.00
---------	---------

महायोग रू0	2,282.00
------------	----------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक 01/01/2024 को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक 01/07/2024
को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या-6332000100000405
में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र"
(आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है।

नोट-यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि
आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि
करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत
(कम्पाउंडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा।
गीडा का GST No. 09AAALG1185A1ZJ है।



(मयंक मंगल)

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा गोरखपुर।